(93)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 250-दो/2017 - विरूद्ध आदेश दिनांक 04 जनवरी, 2017 - पारित द्वारा - कलेक्टर जिला रीवा - प्रकरण कमांक 11 अ-6-अ/ 2016-17 स्वमेव निगरानी

1- नारायण दास चतुर्वेदी 2- अखिलेश चतुर्वेदी
3- आशुतोष चतुर्वेदी 4- कार्तिकेय चतुर्वेदी
5- ओमप्रकाश चतुर्वेदी पुत्रगण स्व. शिवरामदास चतुर्वेदी
6- श्रीमती गीता चतुर्वेदी पत्नि स्व. शिवरामदास चतुर्वेदी
सभी ग्राम गडेहरा तहसील जवा जिला रीवा ---आवेदकगण

विरूद्ध

1-रघुनन्दनप्रसाद तिवारी पुत्र जगन्नाथ तिवारी
2- मुन्नीलाल पुत्र हरिप्रसादर मिश्रा
3- पुष्पराज सिंह पुत्र धर्मराज सिंह
4- कन्हैयालाल पुत्र शीतला प्रसाद
सभी ग्राम कोनी गड़ेहरा तहसील जवा जिला रीवा
5- मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदकगण

(आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक क. 1,2,4 के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 13-10-2017 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर जिला रीवा के प्र0क0 11 अ-6-अ/ 16-17 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 04-01-2017 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक 1, 2 वगैरह ने कलेक्टर

रीवा को इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया :-

(कलेक्टर रीवा की आर्डरशीट दि. 471-17 के प्रथम पद अनुसार)

" आवेदक रघुनन्दन प्रसाद तिवारी निवासी गड़ेहरा एंव मुन्नीलाल मिश्रा कन्हैयालाल द्विवेदी निवासी कोनी गडेहरा व्दारा इस आशय का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम कोनी तहसील जवा की शासकीय भूमि 123.77 एकड़ भूमि के अनुमानित भाग 53.16 एकड़ पर निजी व्यक्तियों के नाम भूमिस्वामी स्वत्व तहसीलदार जवा एंव पटवारी हलका कोनी व्दारा अभिलिखित किया गया है। "

यह अभ्यावेदन कलेक्टर रीवा ने अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर/जवां को भेजकर जॉच प्रतिवेदन चाहा। अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर/जवां से जांच प्रतिवेदन दिनांक 25-11-16 प्राप्त होने पर उक्तांकित अभ्यावेदन पर से कलेक्टर रीवा ने आवेदकगण के विरूद्ध स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 11 अ-6-अ/ 16-17 पॅजीबद्ध किया तथा अंतरिम आदेश दिनांक 4-1-2017 पारित करके आवेदकगण को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया है, जिसके विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उपस्थित पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने । अनावेदकगण क 1,3,4 के अभिभाषक ने लेखी तर्क प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया, जिन्हें 10 दिवस का अवसर दिया गया, किन्तु लेखी बहस अप्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव कलेक्टर रीवा के स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 11 अ-6-अ/ 16-17 के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक के अभ्यावेदन में अभिलिखित तथ्यों की अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर/जवां ने जांच करके कलेक्टर रीवा को प्रतिवेदन दिनांक 25-11-16 प्रस्तुत किया है जिस पर से कलेक्टर रीवा ने अंतरिम आदेश दिनांक 4-1-2017 पारित करके आवेदकगण को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है। प्रकरण में आये तथ्यों अनुसार यह तथ्य भी निर्विवाद है कि इन्हीं पक्षकारों (अनावेदक कमांक 2) ने नायव तहसीलदार जवा के प्रकरण कमांक 132 अ-6-अ/15-16 में पारित आदेश दिनांक 27-7716 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर/जवां के न्यायालय में अपील कमांक 205 अ-6-अ/ 2015-16 दायर की हैं इसी प्रकार तहसीलदार जवां के प्रकरण कमांक 84 अ-6-अ/13-14 में पारित आदेश दिनांक

19-5-14 के विरूद्ध भी अन्य अपील प्रस्तुत हुई है जो अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर/जवां के न्यायालय में विचाराधीन है । इसके वाद भी इन अपील प्रकरणों के तथ्यों को उजागर किये बिना अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर/जवां ने कलेक्टर रीवा को प्रतिवेदन दिनांक 25-11-16 प्रस्तुत कर दिया, जिस पर से कलेक्टर रीवा ने स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक 11 अ-6-अ/ 16-17 पॅजीबद्ध करके अंतरिम आदेश दिनॉक 4-1-17 से आवेदकगण के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया हैं विचार योग्य है कि :-

1. **क्या एक विषय-वस्तु एंव एक ही भूमि पर समान पक्षकारों के बीच सक्षम न्यायालय में अपील प्रकरण के विचाराधीन रहते स्वमेव निगरानी की कार्यवाही की जा सकती है ?**
2. **क्या एक ही वाद विषय-वस्तु एंव एक ही भूमि पर समान पक्षकारों के विरूद्ध एक ही समय में दो न्यायालयों से अनुतोष प्राप्त किया जा सकता हैं?**

एक :- तुकाराम विरूद्ध राधावाई A I R 1953 नाग. 56 का न्याय दृष्टांत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विनिश्चत मामले को उसके निर्णय की पुष्टता की जांच करवाने के लिये वरिष्ठ न्यायालय में ले जाने की प्रकिया अपील हैं।

मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 में व्यवस्था दी गई है कि **अपील कौन कर सकता है** - अपील मूल मामले का ही अगला प्रकम है। उसकी विचारणीय विषयवस्तु वही होती है जो नीचे के न्यायालय में थी, उसी प्रकार अपील करने का अधिकार भी उसी व्यक्ति को होता है जो निचले न्यायालय में मूल मामले में पक्षकार था। अपील करने का अधिकार उसी पक्षकार को हो सकता है जो उस **आदेश से व्यथित हो,** अर्थात जिसके हित को उस आदेश से कुछ हानि पहुंचती हो। तात्पर्य यह है कि आदेश से व्यथित ही अपील कर सकता है और आदेश से व्यथित व्यक्ति वही माना जा सकता है जो निचले न्यायालय में पक्षकार रहा हो जो व्यक्ति निचले न्यायालय में पक्षकार नहीं था उसे वह आदेश प्रभावित नहीं करता जिसके कारण वह व्यथित नहीं माना जा सकता और ऐसे आदेश के विरूद्ध वह अपील भी नहीं कर सकता। अब्दुल रहीम विरूद्ध म्युनिस्पल कमेटी रायपुर 1965 J L J 1112 सु0को0 - परिवादी व्यक्ति व्यथित व्यक्ति नहीं माना जा सकता। राकेश कुमार तिवारी विरूद्ध श्रीकृष्ण गूगोरिया 2007 रा. नि. 313 से अनुसरित।

विचाराधीन मामले में अनावेदक क्रमांक 1 से 4 जब तहसील न्यायालय में

पक्षकार नहीं है । मामला शासन एंव आवेदकगण के बीच भूमिस्वामी के स्वामित्व को लेकर है जिसके कारण अनावेदक कमांक 1 से 4 के हित प्रभावित होना नहीं माने जा सकते और पक्षकार के आवेदन पर आवेदकगण के हितों के विपरीत निर्णय के आशय से स्वमेव निगरानी पॅजीबद्व करके कार्यवाही करना नियमानुकूल नहीं है, जिसके कारण कलेक्टर जिला रीवा के प्र0क0 11 अ-6-अ/ 16-17 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 04-01-2017 विधि के प्रभाव से दूषित प्रक्रिया पर आधारित होना पाया गया है।

दो :- थानूराम विरूद्व अर्जुन 1992 रा.नि. 135 का दृष्टांत है कि एक ही आदेश को अपील और पुनरीक्षण दोनों में साथ साथ आक्षेपित नहीं किया जा सकता। स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर/जवां के न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने के कारण उन्हीं अनावेदकों के आवेदन पर आवेदकगण के विरूद्व अपील एंव पुनरीक्षण की कार्यवाहियॉ एक साथ नहीं चलाई जा सकतीं , जिसके कारण अनावेदक एक ही समय में दो न्यायालयों से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं किन्तु कलेक्टर रीवा ने इस पर गौर न करने में भूल की है जिसके कारण कलेक्टर जिला रीवा व्दारा प्र0क0 11 अ-6-अ/ 16-17 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 04-01-2017 से लिया गया निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 11 अ-6-अ/ 16-17 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 04-01-2017 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर